

**Rule 116 : Disqualification for misconduct of an authorised representative**

Where an authorised representative, other than those referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 116 is found, upon an enquiry into the matter, guilty of misconduct in connection with any proceedings under the Act, the Commissioner may, after providing him an opportunity of being heard, disqualify him from appearing as an authorised representative.

---

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

**नियम 116 : अपराधिकृत प्रतिनिधि के कदाचरण के लिए निर्हता**

जहां अधिनियम की धारा 116 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि मामले की जांच करने पर अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में कदाचरण का दोषी पाया जाता है, वहां आयुक्त उसे सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होने से निर्हरित कर देगा।

---